समक्ष माननीय न्यायालय राजस्व मण्डल, भोपाल, म0प्र0।

पुनरीक्षण प्रकरण क्र............/17

PBR/निगरानी/भोपाल/भू.रा/2018/1792

1. मुंशी सिंह राणा आत्मज श्री एदल सिंह राणा, आयु वयस्क,
2. श्रीमती नेमबती देवी पत्नी श्री गंगासहाय सिंह, आयु वयस्क,
3. श्री एस0पी0 सिंह आत्मज श्री सी0पी0 सिंह, आयु– वयस्क,

निवासी एवं कृषक ग्राम समरधा कलियासोत, तहसील हुजूर, जिला भोपाल, स्थायी निवासी–58, क्षत्रपति शिवाजी सोसायटी, चूना भट्टी कोलार रोड, भोपाल (म0प0) .... आवेदक

विरूद्ध

1. हंश कुमार वर्मा आत्मज श्री सालिगराम वर्मा, आयु वयस्क,
2. शिशिर कुमार आत्मज श्री हंश कुमार वर्मा, आयु वयस्क,
3. श्रीमती शिखा पत्नी श्री प्रशांत कष्यप, आयु वयस्क,

निवासी– शाहपुरा, भोपाल। .... अनावेदक

पुनरीक्षण याचिका अन्तर्गत धारा 50 म0प्र0 भू राजस्व संहिता 1959

विद्वान अधीनस्थ न्यायालय माननीय राजस्व निरीक्षक, श्री अरविन्द दुवे, वृत–3, तहसील हुजूर जिला भोपाल भोपाल द्वारा सीमांकन प्रकरण कमांक 24/अ–12/17–18 मे पारित आदेश दिनांक 17–12–2017, जिसके द्वारा विद्वान राजस्व निरीक्षक ने आवेदक को बिना सूचना दिये मनमाने तरीके से सीमांकन कर प्रतिवेदन एवं पंचनामा लेख किया है, से दुःखी होकर अपीलार्थी निम्न तथ्यों एवं आधारो पर यह पुनरीक्षण प्रस्तुत करता है–

अपील के तथ्य–

1. यह कि अभिलेख के अनुसार अनावेदकगण के स्वत्व की खसरा कमांक 110 एवं 111 का अंश भाग ग्राम समरधा कलियासोत, तहसील हुजूर जिला भोपाल (म0प्र0) में स्थित है। आवेदक कमांक 1 के स्वत्व की भूमि खसरा कमांक 109/3 रकवा .... है0 जवकि अनावेदक कमांक 2 एवं 3 के स्वत्व आधिपत्य एवं अधिकार की भूमि खसरा कमांक 111/3, रकवा 0.100 है0, खसरा कमांक 110/2, रकवा 0.040 है0, खसरा कमांक 110/1, रकवा 0.020 है, खसरा कमांक 110/4, रकवा 0.040 है0, खसरा कमांक 111/4, रकवा 0.100 है0 ग्राम समरधा कलियासोत तहसील हजूज जिला भोपाल में स्थित है एवं आवेदकगण तथा अनावेदकगण की भूमि आपस में लगी हुई हैं स्वीकृतरूप से सीमांकन के समस खसरा कमांक 110 एवं 111 का वटान नहीं हुआ है। विद्वान राजस्व निरीक्षक ने प्रत्यर्थीगण की ओर से प्रस्तुत सीमांकन आवेदन पर

न्यायालय राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश-ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक PBR/निगरानी/भोपाल/भू-रा./2018/1792 जिला - भोपाल

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
27-8-2019	प्रकरण आज प्रस्तुत । प्रकरण का अवलोकन किया गया । यह निगरानी राजस्व निरीक्षक वृत्त-3 तहसील हुजूर जिला भोपाल द्वारा पारित आदेश दिनांक 17.12.2017 के विरूद्ध इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है । मध्यप्रदेश भू-राजस्व संहिता (संशोधन) अधिनियम 2018 जो 27 जुलाई 2018 को मध्यप्रदेश राजपत्र (असाधारण) में प्रकाशित हुआ है, तथा दिनांक 25.09.2018 से लागू हुआ है । संशोधित अधिनियम की धारा 54 के अनुसार संशोधित अधिनियम 2018 के प्रवृत्त होने के ठीक पूर्व लंबित पुनरीक्षण के संबंध में धारा 54(क) के अनुसार "यदि वे किसी आवेदक के आवेदन पर शुरू की गई हो, मण्डल या उपरोक्त संशोधन अधिनियम द्वारा यथा संशोधित अधिनियम की धारा 50 की उपधारा 1 के अधीन उन्हें सुने जाने हेतु विनिश्चत किये जाने के लिए सक्षम राजस्व अधिकारी द्वारा सुनी जायेगी तथा विनिश्चित की जायेगी और यदि इस प्रयोजन के लिए अपेक्षित हो तो ऐसे राजस्व अधिकारी को अंतरित की जायेगी।" चूंकि आवेदक द्वारा यह निगरानी राजस्व निरीक्षक वृत्त-3 तहसील हुजूर न्यायालय के आदेश के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है । अतः संशोधित अधिनियम की धारा 54(ए) के अंतर्गत प्रकरण सुनवाई हेतु कलेक्टर, भोपाल को भेजा जाता है । कलेक्टर, भोपाल प्रकरण पंजीबद्ध कर म0प्र0 भू0रा0 सं0 की धारा 50 (1)(सी) के अंतर्गत पक्षकारों की सुनवाई कर यथोचित आदेश पारित करें । उभय पक्षकार दिनांक 07-10-2019 को कलेक्टर के समक्ष उपस्थित हों । अध्यक्ष	